

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

27/3/15
LCI

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Board", a Board established under the Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) sums received under Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969);
 - (b) contribution from the members as defined in clause (b) of section 2 of the Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Act, 1969 (Kerala Act No. 22 of 1969);
 - (c) interest earned from deposits in banks.
2. This notification shall be applicable for the financial years 2013-14 to 2017-18.
3. The notification shall be effective subject to the conditions that Kerala Toddy Workers' Welfare Fund Board-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

[Notification No. 26/2015 F.No.196/08/2014-ITA.I]

Deepshikha

DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 26 मार्च 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "केरल टोइडी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड" केरल टोइडी वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 1969 (1969 का 22 अधिनियम) के तहत गठित बोर्ड को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) 'केरल टोइडी वर्कर' कल्याण निधि अधिनियम, 1969 के तहत प्राप्त राशि;
 - (ख) केरल टोइडी वर्कर 'कल्याण निधि अधिनियम' 1969 की धारा 2 (घ) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सदस्यों से अंशदान;
 - (ग) बैंकों में जमाओं से अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए लागू होगी।
 3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, अर्थात् केरल टोइडी वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड:-

- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा।
- (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
- (ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, धारा 139 की उपधारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

अधिसूचना संख्या. 26/2015/फा.सं. 196/08/2014-आईटीए-1)

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।